प्रीमियम मर्चेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, तीसरी मंजिल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली–110025
सी आई एन: L51909DL1985PLC021077,
फोन: +91 11 61119429
ईमेल आईडी: premiummerchants123@gmail.com,
वेबसाइट: www.pmltd.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैठक सं. 04/ 2023–24 कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 3 नवंबर, 2023 (शुक्रवार) को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, तीसरी मंजिल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली –110025 सायं 3.00 बजे निम्नलिखित एजेंडा पर चर्चा के लिए में होगी।

1. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के संदर्भ में 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को रिकॉर्ड पर लेना।
2. अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय पर चर्चा करना।

बोर्ड कीआज्ञानुसार
प्रीमियम मर्चेंट्स लिमिटेड के लिए–
हस्ता/–
बलबीर सिंह
निदेशक
डीआईएन: 00027438

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.10.2023

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

आर.जी कॉलेज शाखा
छीपी टैंक,
मेरठ

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 20.10.2023 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया ज़ा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर: मैसर्स एनएस टेक्सटाइल्स, प्रोपराइटर–श्री नौशाद पुत्र अमीरुद्दीन दुकान नंबर 23, पहली मंजिल, एकता कॉम्प्लेक्स, नगर निगम के सामने, मेरठ 250001 और श्री नौशाद पुत्र श्री अमीरुद्दीन निवासी 355/1 बागपत रोड मेरठ सिटी 250001 और श्रीमती शाहिदा पत्नी श्री नौशाद निवासी 355/1 बागपत रोड मेरठ शहर 250001 (गारंटर) और मोहम्मद मुदसिर पुत्र अब्दुल रहीम 141, पुरवा इलाही बख्श मेरठ (गारंटर)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल, निर्मित संपत्ति दुकान नंबर 3/5 पहली मंजिल, निजी दुकान नंबर 23 एकता कॉम्प्लेक्स, नगर निगम के सामने, पूर्व फैयाज अली, मेरठ (यूपी) सीमायें:– उत्तर: 15'4" अन्य की लगी हुई दुकान, दक्षिण: 15'4" अन्य की लगी हुई दुकान, पूर्व: 8'0" लगा हुआ थाना दिल्ली गेट, पश्चिम: 8'0" लगी हुई 12 चौड़ी गैलरी।	27.06.2023 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 44,87,787.68 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	20.10.2023	रू 46,61,151.68 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 20.10.2023

प्राधिकृत अधिकारी

आजादी का अमृत महोत्सव

बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ – 230001
(ई मेल : roprat@barodauprrb.co.in)

सार्वजनिक बिक्री नीलामी सूचना/ नीलामी तिथि 07.12.2023 (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू0 पी0 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रों)/ गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं)/ ने राशि का भुगतान नहीं किया और अत: अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतत्द्वारा जनसाधारण और विशेष रुप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/ बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू0 पी0 बैंक , प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है , जैसा है जो है " और "जो है वही है "आधार पर बेचा जायेगा । जनसाधारण और विशेष रुप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतत्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 06.12.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 07.12.2023 को दोपहर 3:00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 सं0	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ (ईएमडी) (रू0)	विवाद का विवरण/ अवलंबन का विवरण
	शाखा :बिहारगंज, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं0–54140600000259					
1.	ऋणकर्ता: श्री जगी राम सरोज सुत श्री सीता राम सरोज पता: ग्राम:– पूरे नरसिंहमान, पोस्ट– पूरे नरसिंहमान, तहसील:– सदर, जनपद:– प्रतापगढ़(उ0प्र)। जमानतकर्ता:1. श्री अशोक कुमार सुत श्री बृज लाल सरोज पता: ग्राम:– चतुरुपुर, पोस्ट–किशुनगंज, जनपद:– प्रतापगढ़ (उ0प्र0)। 2. श्री राम समुझ सुत श्री राम सुमेर, पता: ग्राम:– रतनमई पोस्ट– बलीपुर, जनपद– प्रतापगढ़(उ0प्र0)।	प्रतिभूति – साम्यिक बन्धक भूमि व मकान स्थित प्लॉट नं0 140B क्षेत्रफल:– 252.78 वर्ग मीटर, स्थित:– ग्राम:– पूरे नरसिंहमान, पोस्ट:– पूरे नरसिंहमान, तहसील:– सदर जनपद– प्रतापगढ़ (उ0प्र0) । स्वामित्व– श्री जगी राम सरोज सुत श्री सीता राम सरोज, ग्राम:– पूरे नरसिंहमान, पोस्ट– पूरे नरसिंहमान तहसील:– सदर, जनपद– प्रतापगढ़(उ0प्र0)230131 चौहद्दी– पूर्व –मकान फूल चन्द्र, पश्चिम– अंश प्लॉट नं0 140B राकेश कुमार, उत्तर– रास्ता 12'0", चौड़ा, दक्षिण–अंश प्लॉट नं0 140 B राकेश कुमार	मांग सूचना की तिथि 16.02.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 17.08.2021 भौतिक 19.09.2023	रु 18,90,888/– + दिनांक 01.01.2021 से देय ब्याज अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटायें)	आरक्षित धनराशि ₹ 26,93,000/– अग्रिम धनराशि ₹ 2,69,300/–	डीआरटी इलाहाबाद एस.ए. 183/ 2023 कोई स्टे नहीं और आगे अगली तारीख 10.11.2023 ज्ञात नहीं है
	शाखा : शमशेरगंज, प्रतापगढ़ खाता सं0- 54010600000238					
2.	ऋणकर्ता: श्री नसीमुद्दीन पुत्र जलीलुद्दीन खान, पता– ग्राम/मोहल्ला– दीना पट्टी कटवड़, पोस्ट– दुल्हेपुर, जिला– प्रतापगढ़ (उ.प्र.), पिन:– 230144 जमानतकर्ता: 1. श्री संतोष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री उमा शंकर मिश्रा पता: ग्राम/मोहल्ला– दुल्हेपुर, पोस्ट– दुल्हेपुर, जिला– प्रतापगढ़(उ.प्र.) 2. श्री मो. हदीश पुत्र स्व. सिराजुल हसन पता: ग्राम/मोहल्ला– चमरूपुर, पोस्ट– चमरूपुर, जिला: प्रतापगढ़(उ.प्र.)	सभी भाग व पार्सल से मिलकर साम्यिक बंधक की सम्पत्ति का भूमि और भवन का प्लॉट नंबर 329/2, क्षेत्रफल – 0.107 हैक्टेयर में से 0.085 हेक्टेयर है जो ग्राम – दहिलामऊ (बाहर), तहसील – सदर, जिला– प्रतापगढ़(उ.प्र.) में स्थित है। स्वामित्व– श्री नसीमुद्दीन पुत्र जलीलुद्दीन, ग्राम दीना पट्टी कटवड़, पोस्ट – दुल्हेपुर, जिला:– प्रतापगढ़ (उ.प्र.) पिन:– 230144 चौहद्दी (विक्रय विलेख संख्या 436/2018 के अनुसार दोनों प्लॉट संख्या 313/1 और 329/2, कुल क्षेत्रफल: 0.204 हेक्टेयर) पूर्व– अमन का प्लॉट, पश्चिम– चक रोड, उत्तर– प्लॉट आबादी, दक्षिण – प्रजापति का प्लॉट। चौहद्दी (साइट के अनुसार प्लॉट संख्या 329/2, कुल क्षेत्रफल: 0.085 हेक्टेयर) पूर्व – खतीजा बेगम का प्लॉट, पश्चिम – दहिलामऊ से कोहरौती रोड, उत्तर – मोइन का मकान, दक्षिण – शंकरलाल प्रजापति का प्लॉट।	मांग सूचना की तिथि 07.02.2023 अधिग्रहण सूचना की तिथि 25.05.2023 सांकेतिक	रु. 6,86,048/– + ब्याज रिवर्सल रु. 53,345/– + दिनांक 01.04.2021 से देय ब्याज अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटायें)	आरक्षित धनराशि ₹ 42,80,000/– अग्रिम धनराशि ₹ 4,28,000/–	ज्ञात नहीं है ज्ञात नहीं है

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैन कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टत: और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में प्रतापगढ़ में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स